न्यायालयः न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

पीठासीन अधिकारी : हरिश मेनारिया, आर.जे.एस.
(अतिरिक्त कार्यभार)

नियमित दाण्डिक प्रकरण संख्या : 439/2018

सीएनआर नम्बर : RJDG090000522018

राजस्थान राज्य -- अभियोगी

बनाम

1. धुला पिता हकरा
2. पंकज पिता हुरमा
3. हुरमा पिता धुला
4. रमेश पिता धुला

निवासीयान जोरावरपुरा, पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर (राज.)

-- अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 429/34 भा.द.सं.

उपस्थितः

1. सहायक अभियोजन अधिकारी, राजस्थान राज्य की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री विरेन्द्र सिंह चौहान, अभियुक्तगण की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 11-03-2026

1. इस प्रकरण का उद्भव सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा थानाधिकारी, पुलिस थाना धम्बोला की ओर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 429/34 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में ''भा.द.सं.'') में अभियोग-पत्र दिनांक 20-12-2018 को प्रस्तुत किये जाने पर हुआ।

2. प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रतीलाल ने दिनांक 14-11-2018 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना, धम्बोला में इस आशय की पेश की कि उसका 12 साल का भैंसा (पाड़ा) दिनांक 06-11-2018 को रात में उसके घर के आंगन से गायब हो गया। सुबह दिनांक 07-11-2018 को ढुंढने पर उसका भैंसा मक्की के खेत के पड़ा हुआ मिला, जिसके पीछे के पैरों में फ्रेक्चर कर घायल कर दिया था। आस-पड़ोस लोग आ जाने से उसका भैंसा बच गया, अन्यथा अभियुक्तगण उसको मारकर खा जाते। गांव के पंचों को बुलाया, लेकिन अभियुक्तगण नहीं माने और पाड़े को मारकर खाने की बात कहने लगे, ...इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना धम्बोला पर अभियोग संख्या 357/2018 अन्तर्गत धारा 429 भा.द.सं. में दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया।

3. अनुसंधानोपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग-पत्र अपराध अन्तर्गत धारा 429/34 भा.द.सं. में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराध का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर नियमित दाण्डिक किया गया। अभियुक्तगण धुला, पंकज, हुरमा व रमेश को अपराध अन्तर्गत धारा 429/34 भा.द.सं. का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, तो अभियुक्तगण ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. अन्वीक्षा के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा मौखिक साक्ष्य में साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 1 रतीलाल, पी.डब्ल्यु. 2 कावा, पी.डब्ल्यु. 3 मोहन, पी.डब्ल्यु. 4 भुरजी, पी.डब्ल्यु. 5 धना, पी.डब्ल्यु. 6 डॉ. सतपालसिंह, पी.डब्ल्यु. 7 रतना, पी.डब्ल्यु. 8 रमेश एवं पी.डब्ल्यु. 9 गंभीरसिंह को परीक्षित कराया गया तथा प्रलेखीय साक्ष्य में लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी-1, चॉक एफआईआर प्रदर्श पी-2, नक्शा मौका प्रदर्श पी-3, फर्द सुरते ए हाल भैंसा प्रदर्श पी-4, भैंसा के फोटो प्रदर्श पी-5 व 6, पुलिस बयान भुरजी प्रदर्श पी-7, पुलिस बयान धना प्रदर्श पी-8, पशु चिकित्सक को तहरीर प्रदर्श पी-9, चिकित्सक का अग्रेषण-पत्र प्रदर्श पी-10 एवं भैंसे/पाड़े का चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी-11 को प्रदर्शित करवाया गया।

5. अभियुक्तगण के विरूद्ध आयी अभियोजन साक्ष्य के स्पष्टीकरण हेतु अभियुक्तगण का परीक्षण धारा 313 द.प्र.सं. के तहत् किया गया, जिसमें उन्होंने अभियोजन साक्षीगण के कथनों का गलत होना बताते हुए कहा कि उन्हें झूठा फंसाया है। प्रतिरक्षा में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गयी।

6. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गयी। उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष अवधार्य प्रश्न यह है कि *''क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 06-11-2018 से 07-11-2018 के मध्य किसी समय मौजा जोरावरपुरा में परिवादी रतीलाल के भैंसे का वध करने के आशय से उसके पीछे के दोनों पैरों पर धारदार हथियार से वार कर उसके दोनों पैर तोड़कर रिष्टी कारित की? यदि हां, तो उचित दण्ड क्या होगा?''*

7. उक्त अवधार्य प्रश्न को सकारात्मक रूप से युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। इस क्रम में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 9 साक्षीगण को परीक्षित कराया गया है। इन साक्षीगण में प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 1 रतीलाल, चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 4 भुरजी, पी.डब्ल्यु. 5 धना, पी.डब्ल्यु. 7 रतना व पी.डब्ल्यु. 8 रमेश तात्विक साक्षीगण है। शेष साक्षीगण में नक्शा मौका के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 2 कावा व पी.डब्ल्यु. 3 मोहन, चिकित्सक पी.डब्ल्यु. 6 डॉ. सतपालसिंह एवं अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 9 गंभीर सिंह है।

8. अवधार्य प्रश्न के क्रम में उक्त साक्षीगण की साक्ष्य की विवेचना करे, तो प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 1 रतीलाल ने उसकी मुख्य परीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित तथ्यों की

11/3/26

संपुष्टि करते हुए कथन किये है कि दिनांक 07-11-2018 को सुबह उसने उसके बाड़े में देखा, तो उसका पाड़ा/भैंसा वहाँ पर नहीं था, जो वहां बंधा हुआ था। सुबह तलाश करने पर उसका पाड़ा धुला के घर के पास मक्की के खेतों में पड़ा हुआ मिला, जिसके पीछे के दोनों पैर कटकर लटके हुए थे तथा पैरों से खून निकल रहा था। आस-पास पता करने पर हुरमा के भैंस तथा परिवादी के पाड़े के मध्य लड़ाई हो जाने से अभियुक्तगण द्वारा तलवार व धारिये से परिवादी के पाड़े के पैर काट दिया जाना पाया। उक्त घटना बाबत परिवादी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 दी। पुलिस ने मौके पर आकर नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 बनाया। मौके पर पाड़े का फर्द सुरत ए हाल प्रदर्श पी-4 मूर्तिब किया। पाड़े के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी-5 व पी-6 होना बताया। प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कहा कि उसने रिपोर्ट में आस पड़ौस के लोगो द्वारा उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित बात बताना सही लिखा है। दो पाड़े लड़े थे या नहीं, उसे पता नहीं है। प्रदर्श पी-1 रिपोर्ट उसने लिखवाई थी, वह अनपढ़ है। आसपास वालों ने पाड़ा लड़ने वाली बात उसे बताई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा में भी कोई तात्विक विरोधाभास या खण्डन दर्शित नहीं होता है।

9. उक्त प्रार्थी के अलावा चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 4 भुरजी व पी.डब्ल्यु. 5 धना पक्षद्रोही घोषित हुए है तथा उक्त साक्षीगण ने उनकी मुख्य परीक्षा में दो पाड़े लड़ाने की बात बतायी है तथा अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के भैंसे को नुकसान पहूंचाने के सुझावों से इंकार किया है। यद्यपि उक्त चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 4 भुरजी व पी.डब्ल्यु. 5 धना पक्षद्रोही घोषित हुए है, तथापि चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 7 रतना व पी.डब्ल्यु. 8 रमेश ने उनकी मुख्य परीक्षा में घटना की सम्पुष्टि करते हुए बताया है कि नवम्बर, 2018 में चौदस के दिन वे भजन मण्डली कार्यक्रम से वापस घर जा रहे थे, तब अमृतदेवी पूर्व सरपंच के घर के पास दो पाड़े आपस में लड़ा रहे थे। वहां पर अभियुक्तगण खड़े थे, जिनके हाथों में धारदार हथियार थे, जिन्होंने रतीलाल के पाड़े को मारा था, जिससे पाड़े के पीछे के दोनों पैरों पर गंभीर चोट आई थी। इस संबंध में गांव के पंच इकठ्ठे हुए थे, जिसमें अभियुक्तगण ने घटना कारित करना स्वीकार कर पैसे देने की बात कही थी, परन्तु पैसे नहीं दिये। फिर रतीलाल ने मुकदमा कराया गया था। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षीगण ने कहा कि उन्होंने अभियुक्तगण को पाड़े को मारते हुए नहीं देखा, परन्तु अभियुक्तगण के हाथों में उन्होंने हथियार देखे थे।

10. नक्शा मौका के साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 2 कावा व पी.डब्ल्यु. 3 मोहन ने उनकी मुख्य परीक्षा में परिवादी रतीलाल के पाड़े के पैर काट दिये जाने के संबंध में पुलिस द्वारा नक्शा मौका प्रदर्श पी-3 मौके पर आकर उनके सामने बनाया जाना तथा खेत में पड़े पाड़े की फर्द सुरतेहाल प्रदर्श पी-4 पर उनके हस्ताक्षर होना बताया है। प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षीगण ने उनके थाने पर हस्ताक्षर करवाया जाना बताया है।

11. इसके अतिरिक्त परिवादी के पशु को कारित चोटों की सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से भी होती है। इस सम्बन्ध में चिकित्सक पी.डब्ल्यु. 6 डॉ. सतपालसिंह ने उसकी मुख्य

11/3/26
जिला डूंगरपुर (राज

परीक्षा में परिवादी रतीलाल के पाड़े के शरीर पर आयी चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्श पी-11 बनाया जाना कहा है तथा उसने पाड़े के पीछे के दोनों पैरों में धारदार हथियार से कटने के निशान होना तथा पाड़े के दांया पैर फ्रेक्चर होकर उक्त चोट गंभीर प्रकृति की होना बताया है।

12. अनुसंधान अधिकारी पी.डब्ल्यु. 9 गंभीरसिंह ने उसकी मुख्य परीक्षा में अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा की गयी कार्यवाहियों की सम्पुष्टि की है तथा इसकी प्रतिपरीक्षा में भी कोई तात्विक विरोधाभास, खण्डन या लोप प्रकट नहीं होता है।

13. इस प्रकार पत्रावली पर प्रस्तुत उक्त साक्ष्य की समग्र रूप से विवेचना करे, तो प्रार्थी पी.डब्ल्यु. 1 रतीलाल एवं चक्षुदर्शी साक्षीगण पी.डब्ल्यु. 7 रतना व पी.डब्ल्यु. 8 रमेश ने उनकी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थी के पशु के पीछे के पैरो पर धारदार हथियार से वार कर उसके उपहतियां कारित किये जाने की सम्पुष्टि की है। यद्यपि पत्रावली पर उक्त साक्षीगण की साक्ष्य में यह तथ्य भी आये है कि दो पाड़े आपस में लड़ाये थे, इससे यह सम्भावना भी हो सकती है कि प्रार्थी के पाड़े के इस लड़ाई में चोटे आयी हो, परन्तु यह सम्भावना समाप्त हो जाती है, क्योंकि चिकित्सक ने प्रार्थी के पाड़े के धारदार हथियार से चोट आना बताया है, जो दो पशुओं की लड़ाई में कारित होना सम्भव प्रतीत नहीं होता है। इससे यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियुक्तगण ने ही प्रार्थी के पशु पर धारदार हथियार से मारा, जिससे उसे गम्भीर चोट आयी।

14. अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य के उक्तानुसार विवेचन से अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में सफल रहा है। तदनुसार अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 429/34 भा.द.सं. में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

15. परिणामतः अभियुक्तगण (1) धुला पिता हकरा, (2) पंकज पिता हुरमा, (3) हुरमा पिता धुला एवं (4) रमेश पिता धुला, निवासीयान जोरावरपुरा, पुलिस थाना धम्बोला, जिला डूंगरपुर (राज.) को उन पर आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 429 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है। अभियुक्तगण के अन्वीक्षाकालीन जमानत मुचलके तुरन्त प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं।

11/3/26

(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर

परिवीक्षा व दण्ड के बिन्दु पर

16. परिवीक्षा व दण्ड के बिन्दु पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य नहीं है। अभियुक्तगण

11/3/26

ने करीब 7 वर्ष अन्वीक्षा भी भुगती है। अभियुक्तगण की दोषसिद्धि सम्मन प्रकृति के मामले में हुई है। अतः प्रकरण के उपर्युक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्तगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

17. परिणामतः अभियुक्तगण (1) धुला पिता हकरा, (2) पंकज पिता हुरमा, (3) हुरमा पिता धुला एवं (4) रमेश पिता धुला, निवासीयान जोरावरपुरा, पुलिस थाना धम्बोला, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.) की अपराध अन्तर्गत धारा 429 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में दोषसिद्धि पर उन्हें उक्त अपराध हेतु तत्काल किसी दण्ड से दण्डित नहीं कर अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 का लाभ दिया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक अभियुक्त 20,000/- रूपये का मुचलका व समान राशि की एक जमानत दो वर्ष की अवधि के लिए इन शर्तों की पेश कर तस्दीक करावे कि वह समाज में शान्ति व सदाचार बनाए रखेगा, अपराध की पुनरावृति नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर सजा भुगतने हेतु तत्पर रहेगा, तो अभियुक्तगण को परिवीक्षा पर रिहा किया जावे। साथ ही आदेश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत् 500/- रूपये (अक्षरे पांच सौ रूपये) रूपये बतौर अभियोजन व्यय न्यायालय में जमा करावे।

11/3/26
(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)

18. निर्णय आज दिनांक 11-03-2026 को लिखाया व हस्ताक्षरित किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/3/26
(हरिश मेनारिया)
न्यायिक मजिस्ट्रेट
सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर
(अतिरिक्त कार्यभार)

sehrishtedar grade-II
"I attest to the accuracy
and authenticity of
document"
RAMANALAL
Digitally signed by
RAMANALAL
Location: JM COURT
SIMALWARA
Date: 2026.04.01
14:20:29 +0530